न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 06 / 2017

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री आनन्द कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोन, अजमेर		1 घनश्याम सिंधी पुत्र श्री वासुदेव सिंधी (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स सोनू ट्रैडर्स, सुभाष नगर, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 7.11.2017

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के नाम जारी नोटिस उसके भाई द्वारा तामील किया गया है, जो तामील की श्रेणी मे आने से तामील माना जाता है। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। प्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोन, अजमेर के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 17.03.2016 को दौराने गस्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स सोनू ट्रैडर्स, सुभाष नगर, पाली से अप्रार्थी की उपस्थिति में वहां रखे हुए शूगर बोईल्ड कन्फैक्सनरी ब्राण्ड के 20 पैकेट में से चार पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा शूगर बोईल्ड कन्फैक्सनरी ब्राण्ड को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–481 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया शूगर बोईल्ड कन्फैक्सनरी ब्राण्ड को Misbranded पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded शूगर बोईल्ड कन्फैक्सनरी ब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

17.03.2016 को अप्रार्थी की फर्म से शूगर बोईल्ड कन्फैक्सनरी ब्राण्ड क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–447 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। उक्त मौका फर्द रिपोर्ट पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./260/एक्ट/2016/308 दिनांक 29.03.2016 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–481 को Misbranded माना है, साथ ही यह अंकित किया कि Hydorgented vegetable far, Edible common salt. Malt extract, Emulsifir (E-322, E-471) Contains added flavour, Nature identical flavouring Sub-stance (Butter flavour) given on the lable of sample but the percentage quantity of Butter Fat used in the products not mentioned on the lable of the sample. Contravention of Regulations No. 2.2.2.2 (f) of food Sefety and standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011. जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Misbranded खाद्य वस्तु शूगर बोईल्ड कन्फैक्सनरी ब्राण्ड का विर्निमाण/विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 7.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली